कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम

(दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰)

लाल डिग्गी, अलीगढ़।

(E-mail: se.aligarh1@dvvnl.org)

पत्रांक : 2154 / विविमंप्रअ(एस) / टी–15 दिनांक : 04.05.2026

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्दुस्तान, अलीगढ़।
अमर उजाला, अलीगढ़।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार–पत्र कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार के लिए 8–10 प्वाइण्ट टाइप में तथा अग्रेंजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6–8 प्वाइण्ट टाइप में) (समाचार पत्र केवल एक कॉलम में) **दिनांक 06.05.2026** को या उससे पहले किसी तारीख को प्रकाशित करने का कष्ट करें। हैडिग व नीचे का नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाऐं जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलो के संबंध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार–पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविंदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामिग्री की मूलप्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकिट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियॉ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु **प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, आगरा** को (जहॉ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होगा) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन / भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी / अग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अग्रेजी भाषा में ही किया जायें। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन / भुगतान नही किया जायेगा।
5. यदि आपकी सूचना जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में ''राष्ट्रहित में बिजली बचाऐं'' का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका / निरस्त किया जा सकता है।
8. **अखबार की कटिंग की छायाप्रति इस कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 (se.aligarh1@dvvnl.org) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**
9. **समाचार पत्र में जो विवरण प्रकाशित किया जाना है वह संलग्न विवरण (Format) में ही प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।**

(अंशुमान यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : 2154 / विविमंप्रअ(एस) / तद् दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰ ऊर्जा भवन, आगरा।
2. निदेशक (तकनीकी), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰ ऊर्जा भवन, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), अलीगढ़ क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰ अलीगढ़।
4. नोटिस बोर्ड।

(अंशुमान यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम
(दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰)
लाल डिग्गी, अलीगढ़।

(E-mail: se.aligarh1@dvvnl.org)

निविदा प्रकाशन सूचना

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, अलीगढ़।	
पत्रांक : 2154 / विविमंप्रअ(एस) / टी–15	दिनांक : 04.05.2025
निविदा सूचना	
निविदा सं. एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण	
1.	विविमंअ–01 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–सारसौल (अलीगढ़) के अन्तर्गत आँधी–तूफान (दैवीय आपदा) के कारण क्षतिग्रस्त 33 केवी / 11 केवी / एल0टी0 लाइन के पोल, लाइन, केबिल आदि बदलकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार करना।
2.	विविमंअ–02 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–अतरौली (अलीगढ़) के अन्तर्गत आँधी–तूफान (दैवीय आपदा) के कारण क्षतिग्रस्त 33 केवी / 11 केवी / एल0टी0 लाइन के पोल, लाइन, केबिल आदि बदलकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार करना।
3.	विविमंअ–03 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–तालानगरी (अलीगढ़) के अन्तर्गत आँधी–तूफान (दैवीय आपदा) के कारण क्षतिग्रस्त 33 केवी / 11 केवी / एल0टी0 लाइन के पोल, लाइन, केबिल आदि बदलकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार करना।
4.	विविमंअ–04 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–सारसौल (अलीगढ़) के क्षेत्रान्तर्गत पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नवीन संयोजनों को निर्गत करने हेतु लाइन निर्माण से सम्बन्धित कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार।
5.	विविमंअ–05 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–अतरौली (अलीगढ़) के क्षेत्रान्तर्गत पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नवीन संयोजनों को निर्गत करने हेतु लाइन निर्माण से सम्बन्धित कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार।
6.	विविमंअ–06 / 2026–27– विद्युत वितरण खण्ड–तालानगरी (अलीगढ़) के क्षेत्रान्तर्गत पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नवीन संयोजनों को निर्गत करने हेतु लाइन निर्माण से सम्बन्धित कार्य विशिष्टीकरण के अनुसार।
ई–निविदा की अन्तिम तिथि : 03.06.2026, 12:00 बजे	
विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://dvvnl.org पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाऐं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।	

Signature Not Verified

Digitally signed by ANSHUMAN YADAV
Date: 2026.05.27 17:56:58 IST
Location: Uttar Pradesh-UP